

प्रश्न सं. [ क. 157 ]

कार्यालय महाप्रबंधक,  
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2, तहसील चौक, अम्बेडकर भवन के पास, जबलपुर (म.प्र.)  
(E-mail:- jabalpurpit2@yahoo.com)

पाराश ९८-1

①

पत्र क्रमांक-965 / तक. / 2024

जबलपुर, दिनांक-06/12/2024

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण,  
संभाग जबलपुर (म.प्र.)।

विषय :- वर्धाघाट पुल पर आवागमन (तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 157)।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2046/कार्य./2024 जबलपुर दिनांक 02.12.2024

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 157 का प्रारूप उत्तर सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शुभ  
6/12/24  
(श्रद्धा भार्गव)  
महाप्रबंधक

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-2 जबलपुर

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय  
प्रश्न

(2)

01). प्रश्न क्रमांक	-	157
02). उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक	-	10.12.2024
03). सदन में उत्तर देने का दिनांक	-	19.12.2024
04). वर्ग जिसके लिये यह तिथि नियत है	-	04
05). विभाग का नाम	-	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

विषय: वर्धाघाट पुल का आवागमन।

"माननीय श्री सुरील कुमार तिवारी जी"

तारांकित प्रश्न

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

—00—

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या खम्हरिया और पनागर को जोड़ने वाले वर्धाघाट पुल का निर्माण हेतु कार्यदिश संविदाकार को दिनांक 27.01.2015 को जारी किया गया है। इसके द्वारा ब्रिज के सुपरस्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। ब्रिज के एक तरफ के एप्रोच की भूमि ऑर्डनेंस फैक्टरी खमरिया के आधिपत्य में होने के कारण उनके द्वारा अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के कारण एप्रोच का कार्य नहीं किया जा सका। संविदाकार के आवेदन पर ब्रिज को यथास्थिति में फोर क्लोज करने का आदेश मुख्यालय द्वारा दिनांक 22.02.2022 को जारी किया गया।	नहीं, खम्हरिया और पनागर को जोड़ने वाले वर्धाघाट पुल के निर्माण हेतु कार्यदिश संविदाकार को दिनांक 27.01.2015 को जारी किया गया है। इसके द्वारा ब्रिज के सुपरस्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। ब्रिज के एक तरफ के एप्रोच की भूमि ऑर्डनेंस फैक्टरी खमरिया के आधिपत्य में होने के कारण उनके द्वारा अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के कारण एप्रोच का कार्य नहीं किया जा सका। संविदाकार के आवेदन पर ब्रिज को यथास्थिति में फोर क्लोज करने का आदेश मुख्यालय द्वारा दिनांक 22.02.2022 को जारी किया गया।
(ख)	क्या प्रश्न दिनांक तक पुल को दोनों तरफ की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ?	हाँ।
(ग)	यदि हाँ तो क्यों ?	ऑर्डनेंस फैक्टरी खमरिया द्वारा दिनांक 01.08.2023 को एप्रोच निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गई तदुपरांत एप्रोच के निर्माण हेतु बैलेंस वर्क के कार्य हेतु नवीन एजेंसी को कार्यदिश दिनांक 06.10.2023 को जारी किया गया।
(घ)	कब तक पुल को दोनों तरफ की सड़कों से जोड़कर आवागमन प्रारंभ किया जायेगा ?	ब्रिज की एप्रोच का निर्माण नवीन एजेंसी द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2025 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। इसके उपरांत ब्रिज में आवागमन प्रारंभ हो जायेगा।

6/12/24  
(श्रद्धा भार्गव)  
महाप्रबंधक

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग  
मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-2 जबलपुर

D:\PFIU-2 DATA\JBP\All letter\Year-2024\Aug.-2024\Forest letter.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग  
मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल